R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08

खण्ड III ◆ अंक 3
सितंबर 2006

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

उद्यम पूँजी निधियों में बैंकों के निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उद्यम पूँजी निधियों (वीसीएफ) में बैंकों के निवेश को नियंत्रित करने वाले विवेकपूर्ण ढांचे का संशोधन किया है। सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया है कि नीचे निर्दिष्ट उद्यम पूँजी निधियों के वित्तपोषण से संबंधित विवेकपूर्ण अपेक्षाओं का पालन करें -

विवेकपूर्ण निवेश सीमाएं

(i) उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) में किए गए सभी निवेशों को ईक्विटी के समकक्ष माना जाएगा तथा इस कारण से, उन्हें पूंजी बाजार निवेश (एक्सपोज़र) की उच्चतम सीमाओं (ईक्विटी और ईक्विटी से संबद्ध लिखतों में प्रत्यक्ष निवेश की उच्चतम सीमा एवं समग्र पूंजी बाजार निवेश की उच्चतम सीमा) के अनुपालन के लिए संगणित किया जाएगा।

(ii) बैंक निवेशिती कंपनी की चुकता पूंजी के 30 प्रतिशत अथवा अपनी चुकता शेयर पूंजी और रिज़र्व के 30 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक धारित नहीं करेगा।

(iii) ईक्विटी/यूनिटों आदि के रूप में उद्यम पूंजी निधियों में निवेश करने पर भी पैरा बैंकिंग गतिविधियों पर 1 जुलाई 2005 के रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार निर्धारित उच्चतम सीमाएं लागू होंगी जिनके अनुसार किसी बैंक द्वारा किसी सहायक कंपनी, वित्तीय सेवा प्रदान करनेवाली कंपनी, वित्तीय संस्था, स्टॉक तथा अन्य एक्सचेंजों में निवेश बैंक की चुकता पूंजी और रिज़र्व के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए तथा ऐसी सभी कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं, स्टॉक और अन्य एक्सचेंजों में कुल मिलाकर निवेश बैंक की चुकता पूंजी और रिज़र्व के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

मूल्यांकन / वर्गीकरण

(i) उद्यम पूंजी निधियों (वीसीएफ) की कोट किए गए ईक्विटी शेयरों/बांडों/यूनिटों में बैंक के संविभाग को बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) श्रेणी में धारित किया जाना चाहिए तथा दैनिक आधार पर, मार्क्ड टू मार्केट होने चाहिए, परंतु वर्तमान अनुदेशों के अनुसार अन्य ईक्विटी शेयरों के लिए मूल्यांकन के मानदंडों के अनुरूप वरीयतः कम-से-कम साप्ताहिक आधार पर धारिता की जानी चाहिए।

(ii) अब से उद्यम पूंजी निधियों के गैर सूचीबद्ध शेयरों/बांडों/यूनिटों में बैंकों द्वारा किए गए निवेशों को प्रारंभिक तीन वर्षों के लिए अवधिपूर्णता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा तथा इस अवधि के दौरान लागत पर मूल्यांकन किया जाएगा। इन दिशानिर्देशों के जारी होने से पहले किए गए निवेशों के लिए, वर्तमान मानदंडों के अनुसार वर्गीकरण किया जाएगा।

(iii) इस प्रयोजन के लिए, तीन वर्ष की अवधि की गणना जब भी प्रतिबद्ध पूंजी की मांग की गई हो तब उद्यम पूंजी निधि में बैंक द्वारा किये गये प्रत्येक संवितरण के लिए अलग से की जाएगी। एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण करने हेतु वर्तमान मानदंडों के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए ऊपर उल्लेख किये अनुसार जिन प्रतिभूतियों ने तीन वर्ष पूरे कर लिए हों उन सभी का अंतरण अगले लेखा वर्ष के प्रारंभ में एक ही लॉट में लागू किया जाएगा ताकि एचटीएम श्रेणी से निवेशों के वार्षिक अंतरण के साथ मेल हो सके।

(iv) तीन वर्षों के बाद, गैर-सूचीबद्ध यूनिटों/शेयरों/बांडों को एएफएस श्रेणी में अंतरित कर निम्नलिखित रूप में मूल्यांकित किया जाना चाहिएः

यूनिटें

यूनिटों के रूप में निवेश करने के मामले में, उद्यम पूंजी निधि द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर उनका

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
उद्यम पूँजी निधियों में बैंकों के निवेश	1
इंटरनेट बैंकिंग	2
आरक्षित निधि से विनियोग	2
विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने वाली इकाईयों के लिए बैंकों का एक्सपोज़र	3
शाखा बैंकिंग	
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित उधार खाते	3
विदेशी मुद्रा	
अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा अचल संपत्ति की खरीद	3
वित्तीय क्षेत्र में विनियमित कंपनियों द्वारा समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश	3
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	
गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार - लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना	3
ग्राहक सेवा	
पासबुक/लेखा विवरणों में शाखा का विवरण	4
राहत/बचत बांड की ब्याज/मूल राशि का भुगतान	4
ग्राहक सेवा के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेश -	
बूढ़े/अक्षम व्यक्तियों द्वारा खातों का परिचालन	4
चेक ड्राप बाक्स सुविधा/चेक बुक	4

मूल्यांकन किया जाएगा। निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर आधारित यूनिटों पर यदि कोई मूल्यह्रास हो तो, एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में निवेशों का अंतरण करते समय उसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए तथा इसके बाद के मूल्यांकनों के समय भी यह प्रावधान किया जाए जो कि उद्यम पूंजी निधि से प्राप्त वित्तीय विवरणों के आधार पर तिमाही या उससे अधिक अंतरालों पर किया जाना चाहिए। कम-से-कम वर्ष में एक बार, लेखा परीक्षा के परिणामों के आधार पर उक्त यूनिटों को मूल्यांकित किया जाना चाहिए। यदि मूल्यांकन करने की तारीख को लेखा परीक्षित तुलन पत्र/वित्तीय विवरण, जिसमें एनएवी आंकड़े दर्शाए जाते हैं, लगातार 18 महीनों से अधिक समय तक उपलब्ध नहीं होते हैं, तो निवेशों का मूल्यन प्रति उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) 1.00 रुपये की दर पर किया जाए।

ईक्विटी

शेयरों के रूप में किये गये निवेशों के मामले में, विश्लेषित मूल्य (ज्युनर्मूल्यन आरक्षित निधियांट यदि कोई हों पर ध्यान दिये बिना), जिसे कंपनी (वीसीएफ) के अद्यतन तुलन पत्र (जो मूल्यन की तारीख से 18 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए) से सुनिश्चित करना है, के आधार पर अपेक्षित बारंबारता (फ्रिक्वेंसी) पर मूल्यन किया जा सकता है । यदि शेयरों पर कोई मूल्यह्रास है तो निवेशों को बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में अंतरित करते समय तथा अनुवर्ती मूल्यांकन जो कि तिमाही अथवा उससे भी थोड़े-थोड़े अंतरालों पर करना चाहिए, के समय उसके लिए प्रावधान करना चाहिए। यदि उपलब्ध अद्यतन तुलन पत्र 18 महीनों से अधिक पुराना है तो शेयरों का प्रति कंपनी 1.00 रुपये की दर पर मूल्यांकन किया जाए ।

बॉण्ड

वीसीएफ के बॉण्डों में निवेश, यदि कोई हों तो उनका मूल्यन बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यन तथा परिचालन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाए ।

बाज़ार जोखिम के लिए जोखिम भारित/पूंजी प्रभार

शेयर /यूनिट

वीसीएफ के शेयरों/यूनिटों में निवेशों पर पहले तीन वर्ष के दौरान जब उन्हें परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत धारित किया जाता है, ऋण जोखिम को मापने के लिए 150 प्रतिशत जोखिम भार लगाया जाएगा। जब उन्हें बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत धारित अथवा अंतरित किया जाता है तो बाजार जोखिम के विशिष्ट जोखिम घटक पर पूंजी प्रभार 13.5 प्रतिशत पर निर्धारित किया जाए ताकि 150 प्रतिशत का जोखिम भार प्रतिबिंबित हो। सामान्य बाजार जोखिम घटक पर अन्य ईक्विटीज के समान 9 प्रतिशत प्रभार लगाया जाए।

बॉण्ड

वीसीएफ के बॉण्डों में निवेशों पर, पहले तीन वर्ष के दौरान जब इन्हें परिपक्वता तक धारित श्रेणी में धारित किया जाता है, ऋण जोखिम को मापने के लिए 150 प्रतिशत जोखिम भार लगेगा। जब यह बॉण्ड बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत धारित अथवा अंतरित किये जाते हैं तो इन पर 13.5 प्रतिशत का विशिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार लगेगा। सामान्य बाजार जोखिम के लिए प्रभार की किसी भी अन्य प्रकार के बॉण्डों में निवेशों के मामले में विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार गणना की जाए।

निवेशों के अलावा वीसीएफ

निवेशों के अलावा वीसीएफ में ऋण आदि जोखिमों पर भी 150 प्रतिशत का जोखिम भार लगाया जाए।

छूट

सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियों से संबंधित विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर सूचीबद्ध एसएलआर से इतर प्रतिभूतियों में किसी बैंक का निवेश पिछले वर्ष के 31 मार्च को एसएलआर से इतर प्रतिभूतियों में उसके कुल निवेश के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, बैंकों को एसएलआर से इतर अनरेटेड प्रतिभूतियों में निवेश नहीं करना चाहिए।

अनुकूल निवेशों के लिए अनुमोदन

वीसीएफ में अनुकूल (स्ट्रॅटेजिक) निवेश अर्थात् वीसीएफ की ईक्विटी/यूनिट पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक के समकक्ष निवेश करने के लिए बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

इंटरनेट बैंकिंग

भारत में इंटरनेट बैंकिंग के संबंध में दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के बाद रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि बैंकों द्वारा इंटरनेट आधारित प्लेटफार्मों पर सेवा प्रदान करने के लिए पहले से अनुमति प्राप्त लोकल करेंसी प्रोडक्ट के अतिरिक्त, बैंकों को इंटरनेट आधारित विदेशी मुद्रा सेवाएं अंतर्निहित लेनदेनों के लिए प्रदान करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाए -

(i) आंकड़ों की गुप्तता, गोपनीयता और संपूर्णता के लिए बैंक जिम्मेदार होंगे।

(ii) भारतीय परिचालनों से संबंधित आंकड़ों को अलग रखा जाए।

(iii) जब भी आवश्यकता हो, आंकड़े रिज़र्व बैंक के निरीक्षण/लेखा-परीक्षा के लिए उपलब्ध कराए जाएं।

(iv) सवाएं प्रदान करने के संबंध में विदेशी मुद्रा से संबंधित लेनदेनों को केवल रिपोर्ट करने तथा प्रारंभ करने की ही अनुमति दी जानी चाहिए। वास्तविक व्यापार के लेनदेनों को प्रत्यक्ष दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही अनुमति प्रदान की जाए।

(v) बैंकों को सीमा-पार लेनदेनों के मामलों में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, (फेमा) के विनियमों का अनुपालन करना चाहिए।

इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं से संबंधित अन्य सभी बातों के लिए बैंक इंटरनेट बैंकिंग पर 14 जून 2001 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र में निहित अनुदेशों से मार्गदर्शन प्राप्त करना जारी रखें।

आरक्षित निधि से विनियोग

यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक द्वारा 'सांविधिक आरक्षित निधि' को आहरण द्वारा कम करने का अवलंब विवेकपूर्ण रूप से लिया गया है तथा वह किसी भी विनियामक आदेश के उल्लंघन में नहीं है, उनको अपने ही हित में सूचित किया गया है कि वे सांविधिक आरक्षित निधि अथवा किसी अन्य आरक्षित निधि में से किसी प्रकार का विनियोग करने से पूर्व रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें।

बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि:

(i) सभी व्यय जिनमें किसी अवधि में मान्यता प्राप्त प्रावधान तथा पट्टे खाते डाली गयी राशियां शामिल हैं, चाहे वे अनिवार्य अथवा विवेकसम्मत हों, उक्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाते में 'लाभ निकालने से पूर्व' मद (अर्थात् 'निवल लाभ' निर्धारित करने से पूर्व) के रूप में प्रकट होने चाहिए।

(ii) जहां कहीं रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से आरक्षित निधियों को आहरण से कम किया जाता है, उसे केवल 'लाभ निकालने के बाद' (अर्थात् वर्ष के लिए लाभ/हानि निर्धारित करने के बाद) दिखाया जाए; तथा

(iii) यह भी सुनिश्चित किया जाए कि तुलन पत्र के 'लेखे पर टिप्पणियाँ' में आरक्षित निधियों के इस तरह से आहरण द्वारा कमी किये जाने संबंधी समुचित प्रकटीकरण किये गये है।

यह ज्ञात होगा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 17 (1) तथा 11 (1) (ख)(ii) के अनुसार बैंकों को लाभ-हानि खाते में प्रकट किये गये लाभ के शेष में से, ऐसे लाभ के कम-से-कम 20 प्रतिशत तक की

राशि के समकक्ष राशि आरक्षित निधि में अंतरित करनी होती है। यह प्रावधान न्यूनतम अपेक्षा है। आरक्षित निधियों के संवर्धन की अनिवार्य आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत में कार्यरत सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (विदेशी बैंकों सहित) को सूचित किया गया था कि 31 मार्च 2001 को समाप्त होनेवाले वर्ष से अपने 'निवल लाभ' (विनियोग से पूर्व) में से कम-से-कम 25 प्रतिशत तक की राशि आरक्षित निधि में अंतरित की जाए।

धारा 17 (2) के अनुसार जहां कोई बैंकिंग कंपनी आरक्षित निधि अथवा शेयर प्रीमियम खाते में से किसी राशि का विनियोग करती है तो वह ऐसे विनियोग की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक को इस तथ्य की सूचना देगी जिसमें ऐसे विनियोग से संबंधित परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया हो।

विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने वाली इकाईयों के लिए बैंकों का एक्सपोज़र

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) की स्थापना के लिए अथवा एसईज़ेड में इकाईयों के अर्जन के लिए जिसमें स्थावर संपदा शामिल है, बैंकों द्वारा कंपनियों को दिए गए ऋण (एक्सपोज़र) तत्काल प्रभाव से वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र को दिए गए ऋण माने जाएंगे। बैंकों को विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे ऋण आदि जोखिमों के लिए प्रावधान तथा समुचित जोखिम भार भी निर्धारित करने होंगे।

शाखा बैंकिंग

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित उधार खाते

रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को स्पष्ट किया है कि अधिस्थगन, अधिकतम चुकौती अवधि, पुनर्निधारित ऋणों के लिए अतिरिक्त संपार्श्विक तथा नए वित्त के आस्ति वर्गीकरण के संबंध में अनुदेश उद्योग, व्यापार और कृषि खातों सहित प्राकृतिक आपदाओं प्रभावित सभी पुनर्निर्धारित उधार खातों पर लागू होंगे।

आगे, प्राकृतिक आपदा की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पुनर्निर्धारण पूरा हो जाने पर प्राकृतिक आपदा की तारीख पर पुनर्निर्धारित खातों का आस्ति वर्गीकरण जारी रहेगा। पुनर्निर्धारित खाते 1 जुलाई 2006 के रिज़र्व बैंक मास्टर परिपत्र में निहित किए अनुसार ऐसे खातों पर लागू दिशानिर्देशों द्वारा शासित रहेंगे। अवमानक खातों पर लागू दिशानिर्देश संदिग्ध खातों पर आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

विदेशी मुद्रा

अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा अचल संपत्ति की खरीद

रिज़र्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि अनिवासी भारतीय /भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा भारत में कृषि संपत्ति, बागान अथवा फार्म हाऊस से इतर किसी अचल संपत्ति के खरीदने के लिए निम्नानुसार भुगतान कर सकते हैं -

(i) भारत से बाहर के किसी स्थान से आवक प्रेषण के रूप में सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से भारत में प्राप्त निधियों से अथवा

(ii) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार रखे गए किसी अनिवासी खाते में रखी गई निधियों से

तदनुसार, ऐसे भुगतान ऊपर निर्दिष्ट तरीके को छोड़कर यात्री चेक अथवा विदेशी मुद्रा नोट अथवा किसी अन्य प्रकार से नहीं किए जा सकते हैं।

वित्तीय क्षेत्र में विनियमित कंपनियों द्वारा समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश

रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि अब समुद्रपार किसी भी कार्यकलाप में निवेश करनेवाली भारत के वित्तीय क्षेत्र की विनियमित कंपनियों को भी 7 जुलाई 2004 की फेमा अधिसूचना के विनियम 7 में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना होगा।

भारतीय पक्ष द्वारा -

(i) वित्तीय सेवा क्रियाकलापों से पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निवल लाभ अर्जित किया हो

(ii) वित्तीय सेवा क्रियाकलापों के लिए भारत में विनियामक प्राधिकरण में पंजीकृत हो

(iii) ऐसे वित्तीय सेवा क्रियाकलापों में कारोबार के लिए भारत और विदेश दोनों में संबंधित विनियामक प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त किया हो और

(iv) भारत में संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्ड पूरे किए हों

इसके पहले, भारत में वित्तीय सेवा गतिविधियों से जुड़ी संस्थाएं जो विदेश में वित्तेतर सेवाओं में निवेश करती थीं उन्हें उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं करना पड़ता था।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि समुद्रपार मंडियों (कामोडिटिज़ एक्सचेंजेस ओवरसीज़) में व्यापार और समुद्रपार मंडियों में व्यापार के लिए संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था की स्थापना को वित्तीय सेवा कार्यकलाप समझा जाएगा और उन्हें वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) से मंजूरी की आवश्यकता होगी। हाल ही में, वायदा बाज़ार आयोग में पंजीकृत सदस्यों को विदेश में पण्य संबंधी कार्यकलाप करने की अनुमति देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए हैं। अतः समुद्रपार मंडियों में व्यापार करने के लिए संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था की स्थापना के इच्छुक भारतीय कंपनियां विनियामक मंजूरी के लिए वायदा बाजार आयोग से संपर्क कर सकते हैं।

भारत में वित्तीय सेवा कार्यकलापों में लगी हुई अविनियमित भारतीय कंपनियां, 7 जुलाई 2004 की फेमा अधिसूचना के विनियम 6 के अधीन समुद्रपार गैर-वित्तीय क्षेत्र के कार्यकलापों में निवेश कर सकती हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार - लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना

यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल वही गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो वास्तव में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार में लगी है, अपने पास रिज़र्व बैंक का प्रमाणत्र रखें, अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों सहित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया कि वे अपने सांविधिक लेखा-परीक्षक से हर वर्ष इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि वे गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार कर रही हैं और उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45झक के अधीन पंजीकृत प्रमाणपत्र रखना जरूरी है। उस वर्ष की 31 मार्च को कंपनी की स्थिति के लिए गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को हर वर्ष 30 जून से पहले प्रस्तुत किया जाए जिसके अंतर्गत उसका पंजीकरण है। इस आशय का पहला प्रमाणपत्र 31 मार्च 2006 को समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रस्तुत किया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झक के अनुसार कंपनी के लिए यह अनिवार्य है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार प्रारंभ करने से पूर्व वह रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करें। यह पाया गया है कि कतिपय गैर-बैंकिंग कंपनियां जो अब गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर रही हैं लेकिन फिर भी पंजीकरण प्रमाणपत्र अपने पास रखे हैं, जबकि उन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त यह प्रमाणपत्र रखना जरूरी नही है/रखने के लिए पात्र नहीं हैं।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **South - 19/2006-08** **Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

ग्राहक सेवा

पासबुक/लेखा विवरणों में शाखा का विवरण

शाखाओं में ग्राहकों को उपलब्ध सेवा की गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्य से बैंकों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि खाता धारकों को जारी की गयी पास बुक/लेखा-विवरणों में शाखा का पूरा पता/टेलीफोन नंबर अनिवार्यत: दिया जाये।

राहत/बचत बांड की ब्याज/मूल राशि का भुगतान

राहत/बचत बांडों के बाहरी निवेशकों के लिए ग्राहक सेवा सुधारने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि निवेश वाले केन्द्र के अलावा अन्य केन्द्र पर देय राहत/बचत बांडों पर मूल राशि/ब्याज का भुगतान किये जाने वाले मामलों में बैंक को निशुल्क मांग ड्राफ्ट, अथवा उनकी सभी शाखाओं पर देय 'सममूल्य' पर चेक जारी करना चाहिए।

ग्राहक सेवा के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेश

मई 2006 के अंक से नई शुरुआत की गई है और मॉनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फर्मेशन रिव्यू में सामान्य बैंक ग्राहकों के लिए उपयोगी रिज़र्व बैंक के अनुदश समाहित किए जा रहे हैं। ग्राहक सेवा से संबंधित कुछ और अनुदेश फिर से नीचे दिए जा रहे हैं -

बूढ़े/अक्षम व्यक्तियों द्वारा खातों का परिचालन

बूढ़े/बीमार/अक्षम बैंक ग्राहकों को अपने बैंक खाते के परिचालन में हो रही कठिनाइयों के अनुसरण में रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ के साथ परामर्श करके मामले के संबंध में अक्तूबर 1998 में बैंकों को अनुदेश जारी किए थे। ये अनुदेश हैं -

बीमार/बूढ़े/अक्षम खातेदारों के प्रकार

बीमार/बूढ़े/अक्षम खातेदार निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं -

(क) ऐसे खातेदार जो इतना बीमार है कि चेक पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता/अपने बैंक खाते से रकम निकालने के लिए बैंक में स्वयं नहीं जा सकता, परंतु चेक/आहरण पर्ची पर अपने अंगूठे के निशान लगा सकता है।

(ख) ऐसा खातेदार जो न सिर्फ बैंक में जाने में असमर्थ है बल्कि कतिपय शारीरिक कमी/अक्षमता के कारण चेक/आहरण पर्ची पर अंगूठे का निशान लगाने में भी असमर्थ है।

परिचालन प्रक्रिया

बूढ़े/बीमार खातेदारों को अपने बैंक खातों में लेनदेन करने के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से बैंक निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करें -

- जहाँ कहीं बीमार/बूढ़े/अक्षम खातेदार के अंगूठे या पैर की उंगली के निशान प्राप्त किये जाते हैं, उसकी पहचान ऐसे दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा की जानी चाहिए जिन्हें बैंक जानता हो तथा जिनमें से एक जिम्मेदार बैंक अधिकारी होना चाहिए।
- जहाँ ग्राहक अपने अंगूठे का निशान भी नहीं लगा सकता तथा स्वयं बैंक में उपस्थित नहीं हो सकता, उन मामलों में चेक/आहरण पर्ची पर एक निशान प्राप्त कर लिया जाये, जिसकी पहचान दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा की जानी चाहिए जिनमें से एक जिम्मेदार बैंक अधिकारी होना चाहिए।
- ग्राहक से बैंक को यह भी सूचित करने के लिए कहा जाये कि उक्त प्रकार से चेक/आहरण पर्ची के आधार पर बैंक से कौन रकम निकालेगा तथा यह कि उस व्यक्ति की पहचान दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा की जानी चाहिए। जो व्यक्ति बैंक से वस्तुत: रकम निकालेगा उससे कहा जाये कि वह बैंक को अपना हस्ताक्षर प्रस्तुत करें।

चेक ड्राप बाक्स सुविधा/चेक बुक

रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2004 में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया था कि वे चेक ड्राप बाक्स सुविधा, चेक बुक और खाता विवरण/पासबुक जारी करने के संबंध में उपलब्ध करायी जानेवाली सेवाओं के बारे में गठित कार्यविधि और कार्यनिष्पादन लेखा-परीक्षा समिति (अध्यक्ष श्री एस.एस.तारापोर) की सिफारिशों को लागू करें। ये अनुदेश इस प्रकार है:

चेक ड्राप बाक्स सुविधा

ग्राहकों को यह सुविधा दी जानी चाहिए कि वे चाहें तो अपने चेक रखे गए बक्से में डालें या फिर नियमित चेक संग्रहण काउंटरों पर दे दें। काउंटर पर जमा किये गये चेकों की प्राप्ति-रसीद अवश्य दी जानी चाहिये।

चेक बुक

बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जमाकर्ताओं द्वारा अनुरोध किये जाने पर जमाकर्ताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि को काउंटर पर चेक बुक दी जानी चाहिए। समिति ने पाया था कि कुछ बैंक जमाकर्ताओं को शाखा से अपनी चेक बुक लेने ही नहीं देते, बल्कि इस बात पर ज़ोर देते हैं कि संबंधित चेक बुक जमाकर्ता को कूरिअर द्वारा भेजी जाएगी। इसके अलावा, जमाकर्ता को इस आशय के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है कि कूरियर द्वारा चेक बुक भेजे जाने से संबंधित जोखिम जमाकर्ता का है और इससे संबंधित कोई भी परिणाम जमाकर्ता को भुगतना होगा तथा इस प्रकार चेक बुक भेजे जाने के मामले में जमाकर्ता किसी भी रूप में बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहरायेगा। बैंकों को सूचित किया जाता है कि यह कार्यविधि अनुचित है तथा बैंक जमाकर्ताओं से इस तरह का वचन पत्र प्राप्त करने की प्रथा बंद करें।

खाता विवरण/पास बुक

जमाकर्ताओं को असुविधा न हो इस दृष्टि से बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि वे पास बुकों/जमा विवरणों में समाशोधन द्वारा या चेक द्वारा इस तरह की गूढ़ प्रविष्टियां न करें जैसे कि "बाइ क्लीयरिंग" या "बाइ चेक"। बैंक यह सुनिश्चित करें कि पास बुकों/जमा विवरणों में अनिवार्यत: इस प्रकार के विवरण दिये जाएं जो समझ में आयें। बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि जमा विवरण भेजते समय वे निर्धारित मासिक अवधि का भी पालन करें।

समिति ने यह नोट किया था कि इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर के मामले में बैंक पास बुक/खाता विवरण में अनिवार्यत: कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं कराते जबकि ऐसे विप्रेषणों के संक्षिप्त विवरण प्राप्तकर्ता बैंक को उपलब्ध कराए जाते है। कुछ मामलों में तो कम्प्यूटरीकृत प्रविष्टियों में जटिल कोडों का प्रयोग किया जाता है जिनका अर्थ निकालना संभव ही नहीं है।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस लि.,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, प्रेस संपर्क प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।**